

**बिहार सरकार
सहकारिता विभाग**

अधिसूचना

पटना, दिनांक 11/08/26

सं0सं0-01/रा. स्था. (नियुक्ति)--57/2026 सह. 4493 बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग, वर्ग-2 (समूह-'ख') में नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मैट्रिक्स लेवल-9 (रू0 53100-167800) में, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ, औपबधिक रूप से परीक्ष्यमान सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के पद पर नियुक्त करते हुए सहकारिता विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापित किया जाता है :-

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	रौल नं०	जन्म तिथि	गृह जिला	मेघा क्रमांक	आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री प्रणव	470355	02.09.1995	नवादा	200	01
2.	श्री सूरज सिंह	447563	29.10.1995	औरंगाबाद	214	01
3.	श्री रमेश कुमार	344965	11.12.1993	देवघर (झारखंड)	285	01
4.	श्री शम्भू कुमार	453331	07.11.2000	पटना	332	01
5.	सुश्री प्रज्ञा सिंह	487078	11.07.1996	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	389	01
6.	श्री प्रशांत कुमार	347786	10.03.1999	लखीसराय	418	01
7.	श्री सत्य प्रकाश सिंह	298336	15.07.2000	बलिया (उत्तर प्रदेश)	422	01
8.	श्री आदर्श गुप्ता	570524	31.10.1998	रामगढ़ (झारखंड)	430	01
9.	सुश्री दीक्षा सिंह	492513	30.07.2000	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	433	01
10.	श्री शशांक रवि	553492	28.02.2000	सारण	434	01
11.	सुश्री अनिशा कुमारी	379375	12.06.2000	बेगूसराय	443	01
12.	श्री शेखर सुमन	305068	25.12.1994	सहरसा	446	01
13.	सुश्री अर्चना कुमारी	137646	10.12.2001	सिवान	468	01
14.	सुश्री दिव्या पाण्डेय	516198	12.03.1996	पटना	476	01
15.	श्री जय प्रकाश	402773	06.11.1999	पटना	486	05
16.	श्री बंटी कुमार	314567	26.12.1997	औरंगाबाद	499	05
17.	श्री निलेश भारद्वाज	354348	15.10.1996	भोजपुर (आरा)	523	07
18.	श्री अमन राज	437102	15.03.1999	बेगूसराय	531	07
19.	सुश्री रिया राज सिंह	385617	12.11.2000	बेगूसराय	687	04
20.	श्री अर्पित कुमार ठाकुर	398343	22.09.2001	पटना	697	04
21.	सुश्री मधु	239606	25.03.1995	मधुबनी	717	05
22.	सुश्री अनन्या प्रिया	123926	04.01.2001	सिवान	759	07
23.	श्री रोहित कुमार साहु	571813	15.11.2001	समस्तीपुर	929	04
24.	श्री मिन्टू कुमार	531270	17.05.1996	पश्चिम चम्पारण	931	04
25.	श्री कुमार अनुराग आनंद	127678	11.10.2001	सारण	2666	02
26.	श्री अविनाश	178242	04.01.1994	पटना	2695	02
27.	सुश्री प्रियंका पासवान	368475	05.10.1993	बेगूसराय	2845	02
28.	श्री गोविन्द कुमार राम	319284	15.07.1996	दरभंगा	2879	02
29.	श्री दीन बन्धु	180832	26.06.1991	सीतामढ़ी	3102	05 (Disabled-vi)

- i. चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः (06) माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबधिक रूप से की जाती है। छः माह के अन्दर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में औपबधिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की सेवा अगले छः माह के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर विस्तारित की जा सकेगी।

- ii. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इन नवनियुक्त पदाधिकारियों की सेवा तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जायेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- iii. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों आदि के आलोक में इनकी नियुक्ति नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आच्छादित होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना सं०-2160 दिनांक-05.02.2025 के आलोक में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि तथा उनकी आपसी वरीयता निर्धारित होगी।
- iv. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1991, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- v. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- vi. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व से किसी नियोक्ता के अंतर्गत सेवारत हैं, योगदान के समय निश्चित रूप से नियोक्ता का अनापत्ति/विरमन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी को अन्य सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकृति से संबंधित पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।
- vii. प्रत्येक अभ्यर्थी को अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे मूल रूप में योगदान के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- viii. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात यथाशीघ्र योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने अथवा योगदान की अवधि विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- ix. योगदान/प्रभार ग्रहण करने हेतु नवनियुक्त पदाधिकारी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- x. प्रशिक्षण अवधि में सभी नवनियुक्त पदाधिकारी के वेतनादि का भुगतान मुख्यालय से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(स्मृति कुमारी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक...../पटना, दिनांक.....

01/रा०स्था० (नियुक्ति)-57/2026 सह.

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

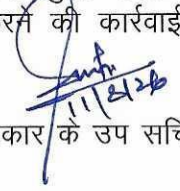
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक 4439 / पटना, दिनांक 11/08/26

प्रतिलिपि:-

माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, गयाजी/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/निदेशक, दीप नारायण सिंह, क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (डी0एन0एस0), पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त निबंधक (प्रशासनिक एवं अंकक्षण), सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी उप मुख्य अंकक्षक, सहयोग समितियाँ/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला अंकक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, बिहार/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-08 एवं प्रशाखा-04, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों का PRAN NO. आवंटित करने एवं HRMS Portal में Onboarding करने की कार्यवाई सुनिश्चित करेंगे।


सरकार के उप सचिव।